1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा/2018/0389

1. रामपाल सिंह पुत्र रतिराम
2. कृष्णपाल सिंह पुत्र रतिराम
जाति यादव निवासी माधौपुर तहसील अशोकनगर जिला अशोकनगर म.प्र.

.... आवेदकगण

बनाम

1. आशाराम पुत्र मान सिंह यादव
2. परमाल सिंह पुत्र भैयालाल यादव
3. कोक सिंह पुत्र हरतूम सिंह यादव
4. ओतार सिंह पुत्र तोफान सिंह यादव
5. ब्रजेश बाई पुत्री तोफान सिंह
6. चंदन सिंह पुत्र घासीराम यादव
समस्त जाति यादव समस्त निवासी ग्राम माधौपुर (करियाखेडी) तहसील अशोकनगर जिला अशोकनगर

.... अनावेदकगण

7. बृजभान सिंह पुत्र लाल साहब यादव
निवासी ग्राम माधौपुर तहसील व जिला अशोकनगर

...... प्रोफार्मा पक्षकार

श्री विनोद ... द्वारा आज 11-1-2018 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता</u>

न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2अ13/ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23.03.2017 एवं 05.06.2017 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी / अशोकनगर / भू.रा. / 2018 / 389

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-12-18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार अशोकनगर के प्रकरण कमांक 2 अ–13 / 2016–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 5–6–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य नही रही है। तहसीलदार अशोकनगर व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 5–6–17 निगरानी कलेक्टर / अपर कलेक्टर को होगी। तद्नुसार आवेदक सक्षम न्यायालय में इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न रहने से समाप्त की जाती है। सदस्य	